न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी– **श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 108 / 2015
रज्जु दिनांक : 20 / 07 / 2015
निर्णय दिनांक : 02/02/2021

बंशीलाल पुत्र छोटूराम, जाति अहीर, निवासी डागरों की ढाणी तन महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

–– वादी

बनाम

1. तुलसीराम पुत्र नाथूराम, जाति बागडा निवासी केसरीसिंहपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. कैलाश पुत्र ग्यारसीराम, निवासी केसरीसिंहपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

–– प्रतिवादीगण

वाद स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री पन्नालाल चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी संख्या 1 ल. 2 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 02/02/2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि "आराजी खसरा नम्बर 1194, 1390 कुल किता 02 कुल रकबा 0.16 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद में स्थित है, जो वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है, जिसमें वादी ने इस वर्ष सावणु की फसल में बाजरा काश्त कर रखी है, जो मौके पर मौजूद हैं। प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है लेकिन प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति से इन्सान है इसलिये आये दिन विवादित आराजी पर कब्जा करने व वादी को बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देते हैं। दिनांक 16 / 07 / 2015 को वादी अपनी आराजी में काश्त फसल बाजरा को संभलाने गया तो उसी समय प्रतिवादीगण आये तथा वादी से झगडा करने लगे। वादी के व उपस्थित व्यक्तियों ने प्रतिवादीगण को समझाया तो प्रतिवादीगण उस समय तो मान गए लेकिन जाते वक्त वादी को ऐलानिया धमकी दी कि आयन्दा मौका देखकर फसल काश्त बाजरा को करने में तथा तुम्हें बेदखल कर कब्जा करेगे करना हो सो

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

कर लेना इसलिये अपने हितों की रक्षार्थ वादी ने यह वाद–पत्र प्रस्तुत किया हैं। विवादित आराजी वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है तथा वर्तमान सावणु फसल बाजरा काश्त कर रखी है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण कानून को हाथ में लेकर लाठी के बल पर वादी द्वारा काश्त फसल बाजरा को काटकर ले जावें व कभी को बेदखल कर कब्जा करने में सफल हो गये तो वादी को असहनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव होगा। इसलिये न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया आवश्यक है।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि ''वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1194, 1390 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1600 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां, तहसील मौज्माबाद में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बेजा मजाहमत न स्वंय करें न अन्य किसी नौकर, चाकर, एजेन्ट आदि से करावे न ही वादी की फसल बाजरा काटकर वादी को बेदखल करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 23/07/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 ल. 2 की ओर से श्री शेख अनवर अली ने अण्डरटेकिंग पेश की। दिनांक 28/09/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री भैरूलाल शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 31/01/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 08/02/2017 को तनकीयात कायम की गयी जो शामिल मिसल की गयी।

दिनांक 22/03/2017 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्लयू 1 वादी बंशीलाल, पी.डब्लयू 2 सीताराम, पी.डब्ल्यू 3 भंवरलाल के शपथ–पत्र पेश हुये जो शामिल मिसल किये गये। दिनांक 04/01/2021 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

संख्या 188 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 188 का वादी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं, वादी ने अपने वाद में अंकित किया है कि "विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही हैं, लेकिन प्रतिवादीगण जबरन वादी की भूमि पर कब्जा कर वादी को बेदखल करना चाहते है इसलिये प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।" प्रतिवादी संख्या 1 ल. 2 ने जवाब पेश किया तत्पश्चात उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि विवादित आराजीयात का वादी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त हैं विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध सरोकार होना नही पाया जाता हैं चूंकि वादी विवादित आराजी का एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, इसलिये एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने वालों को कानूनन पाबन्द किया जाना चाहिये। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन उपरान्त यह पाया जाता है कि वादी अपने वाद–पत्र को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है, जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ल. 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1194, 1390 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1600 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न स्वंय करें न अन्य से करावें तथा न ही वादी को बेदखल नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

सहायक कलक्टर
दूदू (जयपुर)
(फास्ट ट्रेक) दूदू

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू मुकाम

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.)

बंशीलाल पुत्र छोटूराम जाति अहीर नि० डूंगरो की ढाणी तन महेसां तह० मौजमाबाद जिला जयपुर राज० बनाम (1) तुलसीराम पुत्र नाथूराम जाति खागड़ा नि० केसरीसिंहपुरा तह० मौजमाबाद जिला जयपुर (2) कैलाश पुत्र ग्यारसीराम नि० केसरीसिंहपुरा

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकद्दमा न. 108/2015 सन्

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधि० श्री पन्नालाल चौधरी

व हाजिरी .... भिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रति० से 1 ता 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल की गई।

.... भिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रति० स० 1 लगा० 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1194, 1390 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1600 हैक्टेयर वाके ग्राम महेसां, तह० मौजमाबाद जिला जयपुर में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न स्वयं करें न अन्य से करावे तथा न ही वादी को बेदखल करें।

.... निज .... मुबलिग ....

.... बाबत् .... खर्चा इस मुकद्दमे के गय सूद बशरह ....

.... फीसदी .... सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 02 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत (सहायक कलक्टर)

मुहर

ओहदा (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत् महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान् फीस कमिश्नर बाबत् ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिए।